रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 22, 1990/माघ 2, 1911
No. 36] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 22, 1990/MAGHA 2, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

समाचार-पत्र स्थापनों और समाचार-पत्र एजेंसियों के श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-श्रमजीवी कर्मचारियों की बाबत मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकारात्मक भत्ता की पुनरीक्षित दरों की सिफारिशों में उपांतरण।

आदेश

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1990

का.आ. 71(अ). श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-श्रमजीवी समाचार-पत्र कर्मचारियों की बाबत मजदूरी की दरें नियत करने या उनका पुनरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 9 और धारा 13ग के अधीन भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 527(अ) और 528(अ) द्वारा जो दोनों, तारीख 17 जुलाई, 1985 की हैं, दो मजदूरी बोर्ड गठित किए थे;

और पूर्वोक्त मजदूरी बोर्डों ने 30 मई, 1989 को अपनी सिफारिशें केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दीं;

और केन्द्रीय सरकार ने तारीख 31 अगस्त, 1989 के राजपत्र, असाधारण में का.आ. 684(अ) के रूप में प्रकाशित अपने आदेश द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ नीचे अनुसूची में उपाबद्ध मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकारात्मक भत्ता के संदाय के संबंध में अपनी रिपोर्ट के अध्याय 9 के अधीन भाग 1 के अनुभाग 5 के पैरा 19(क) और 19(ख) में और अध्याय 9 के अधीन भाग 2 के अनुभाग 5 के पैरा 12 (क) और 12(ख) में अंतर्विष्ट उक्त मजदूरी बोर्डों की सिफारिशों में कुछ उपांतरण करने का प्रस्ताव किया था;

और उक्त सिफारिशों पर विचार किया गया और उक्त सिफारिशों में कुछ ऐसे उपांतरण करना सरकार ने ठीक समझा जो सरकार की राय में सिफारिशों के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन करेंगे;

और उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को जिनके प्रस्तावित उपांतरों से प्रभावित होने की संभावना थी, सूचनाएं जारी की गई थीं और इस निमित्त प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार कर लिया गया है;

अब, अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-श्रमजीवी समाचार-पत्र कर्मचारियों के लिए बोर्ड की सिफारिशों

के अध्याय 9 के अधीन भाग 1 के अनुभाग 5 के पैरा 19(क) और 19(ख) या अध्याय 9 के अधीन भाग 2 के अनुभाग 5 के पैरा 12(क) और 12(ख) में निम्नलिखित उपांतर करती है, अर्थात्:

(1) श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-श्रमजीवी समाचार-पत्र कर्मचारी बोर्ड की सिफारिशों के अध्याय 9 के अधीन भाग 1 के अनुभाग 5 के अधीन मकान किराया भत्ता के संबंध में सारणी 3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:

"सारणी 3

मकान किराया भत्ता की दरें

(वेतन का प्रतिशत)

समाचार-पत्र का स्थापन का वर्ग	20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	10 से 20 लाख के बीच जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर/कस्बे
I(क)	15	14	13
I	14	13	12
II	13	12	11
III	12	11	10
IV	11	10	9
V	10	9	8
VI	9	8	7
VII	8	7	6
VIII	7	6	5
IX	6	5	4

टिप्पण : उपरोक्त वर्णित मकान-किराया भत्ता की दरें किसी नगर में किसी वर्ग के समाचार-पत्र स्थापन के अधीन कर्मचारियों के किसी समूह के लिए अधिकतम 1200/- रु. होंगी।";

(2) अध्याय 9 के अधीन भाग 1 के अनुभाग 5 के अधीन नगर प्रतिकारात्मक भत्ता के संबंध में सारणी 4 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात:

"सारणी 4

नगर प्रतिकारात्मक भत्ता

(प्रतिमास दरें)

स्थापन का वर्ग	20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	10 से 20 लाख के बीच जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	4 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर/कस्बे
	रु.	रु.	रु.
I(क)	100	75	20
I	75	50	20
II	60	35	20
III	50	30	20
IV	45	30	20
V	40	30	20
VI	40	30	20
VII	40	30	20
VIII	40	30	20
IX	40	30	20";

(3) श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-श्रमजीवी समाचार-पत्र कर्मचारी बोर्ड की सिफारिशों के अध्याय 9 के अधीन भाग 2 के अनुभाग 5 के अधीन मकान किराया भत्ता के संबंध में सारणी 3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:

"सारणी 3

मकान किराया भत्ता की दरें

(वेतन का प्रतिशत)

समाचार पत्र एजेंसी का वर्ग	20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	10 से 20 लाख के बीच जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर/कस्बे
I	15	14	13
II	15	14	13

टिप्पण : पूर्वोक्त वर्णित मकान किराया भत्ता की दरें किसी नगर में समाचार एजेंसी के किसी समूह के लिए अधिकतम 1200/- रुपए होंगी।";

(4) अध्याय 9 के अधीन भाग 2 के अनुभाग 5 के अधीन नगर प्रतिकारात्मक भत्ता के संबंध में सारणी 4 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:

"सारणी 4

नगर प्रतिकारात्मक भत्ता की दरें

(प्रतिमास दरें)

स्थापन का वर्ग	20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	10 से 20 लाख के बीच जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	4 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर/कस्बे
	रु.	रु.	रु.
I	100	75	20
II	75	50	20",

ये सिफारिशें उपरोक्त उपांतरण के अधीन रहते हुए आदेश की तारीख से प्रवृत्त होंगी।

अनुसूची

मजदूरी बोर्डों की रिपोर्टों के अध्याय 9 के अधीन भाग 1 के अनुभाग 5 के पैरा 19(क) और 19(ख) और अध्याय 9 के अधीन भाग 2 के अनुभाग 5 के पैरा 12(क) और 12(ख) में अन्तर्विष्ट सिफारिशें।

अध्याय 9

भाग I

श्रमजीवी पत्रकारों और पत्रकारों से भिन्न समाचार कर्मचारियों के लिए मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें

(समाचार एजेंसियों से भिन्न समाचार स्थापनों के कर्मचारियों के लिए)

खण्ड 5

अन्य भत्ते :

19(क) मकान किराया भत्ता—इसमें संलग्न सारणी III में उपदर्शित रूप में मकान किराया भत्ता भी उसमें वर्णित समाचारपत्र स्थापनों द्वारा संबंधित जोन में तैनात किए गए कर्मचारियों को संदत्त किया जाएगा।

परन्तु यह कि :—

(1) जहां किसी कर्मचारी के लिए समाचारपत्र स्थापन द्वारा निवास स्थान की व्यवस्था की गई है वहां कोई मकान किराया भत्ता संदेय नहीं होगा,

(2) यदि किसी कर्मचारी को मकान किराया भत्ता संदत्त किया जा रहा है तो वह इस उपबन्ध के अधीन संदेय मकान किराया भत्ते की रकम के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा,

(3) जहां कोई समाचारपत्र स्थापन किसी कर्मचारी की ओर से अपने निवास स्थान का स्वामी होने के लिए कर्मचारी को समर्थ बनाने के लिए किसी निधि में किसी रकम का अभिदाय करता है तो ऐसी रकम को इस उपबन्ध के अधीन संदेय मकान किराया भत्ते के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा;

(ख) नगर प्रतिकारात्मक भत्ता—इसमें संलग्न सारणी 1 में उपदर्शित रूप में नगर प्रतिकरात्मक भत्ता उसमें उपवर्णित समाचारपत्र स्थापनों द्वारा संबंधित अंचलों में तैनात किए गए कर्मचारियों को संदत्त किया जाएगा।

सारणी 3

मकान किराया भत्ते की दरें

समाचार पत्र स्थापन का वर्ग	दरें		
	'क'	'ख'	'ग'
	नगर/कस्बे, जिनकी जनसंख्या अन्तिम जनगणना के अनुसार 20 लाख और उससे अधिक है	नगर/कस्बे, जिनकी जनसंख्या अन्तिम जनगणना के अनुसार 10 लाख और उससे अधिक किन्तु 20 लाख से कम है	नगर/कस्बे, जिनकी जनसंख्या अन्तिम जनगणना के अनुसार 10 लाख से कम है
1	2	3	4
Iअ.	वेतन का 11 प्रतिशत अधिकतम 330 रुपए	वेतन का 10 प्रतिशत अधिकतम 300 रुपए	वेतन का 9 प्रतिशत अधिकतम 270 रुपए
I.	वेतन का 10 प्रतिशत अधिकतम 300 रुपए	वेतन का 9 प्रतिशत अधिकतम 270 रुपए	वेतन का 8 प्रतिशत अधिकतम 240 रुपए
II.	वेतन का 9 प्रतिशत अधिकतम 270 रुपए	वेतन का 8 प्रतिशत अधिकतम 240 रुपए	वेतन का 7 प्रतिशत अधिकतम 210 रुपए
III.	वेतन का 8 प्रतिशत अधिकतम 240 रुपए	वेतन का 7 प्रतिशत अधिकतम 210 रुपए	वेतन का 6 प्रतिशत अधिकतम 180 रुपए
IV.	वेतन का 7 प्रतिशत अधिकतम 210 रुपए	वेतन का 6 प्रतिशत अधिकतम 180 रुपए	वेतन का 5 प्रतिशत अधिकतम 150 रुपए
V.	वेतन का 6 प्रतिशत अधिकतम 180 रुपए	वेतन का 5 प्रतिशत अधिकतम 150 रुपए	वेतन का 4 प्रतिशत अधिकतम 120 रुपए

सारणी-4

नगर प्रतिकारात्मक भत्ता

(दर प्रति मास)

जोन	'क'	'ख'
समाचारपत्र स्थापन का वर्ग	नगर, कस्बे जिनकी जनसंख्या अन्तिम जनगणना के अनुसार 20 लाख और उससे अधिक है	नगर/कस्बे जिनकी जनसंख्या अन्तिम जनगणना के अनुसार 10 लाख और उससे अधिक किन्तु 20 लाख से कम है
1अ	80 रुपए	20 रुपए
I	65 रुपए	20 रुपए
II	50 रुपए	20 रुपए
III	35 रुपए	20 रुपए
IV	30 रुपए	20 रुपए
V	30 रुपए	20 रुपए

भाग—II

समाचार एजेन्सियों के लिए श्रमजीवी पत्रकारों और पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें

खण्ड—5

अन्य भत्ते :

12(क). मकान किराया भत्ता :

इसमें संलग्न सारणी III में उपदर्शित रूप में मकान किराया भत्ता भी उसमें वर्णित समाचारपत्र एजेन्सियों द्वारा संबंधित अंचलों में तैनात किए गए अपने कर्मचारियों को संदत्त किया जाएगा। परन्तु यह कि (1) जहां किसी कर्मचारी के लिए समाचार एजेन्सी द्वारा निवास स्थान की व्यवस्था की गई है वहां कोई मकान किराया भत्ता संदेय नहीं होगा, (2) यदि किसी कर्मचारी को मकान किराया भत्ता संदत्त किया जा रहा है तो उसको इस उपबन्ध के अधीन संदेय मकान किराया भत्ते की रकम के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, (3) जहां कोई समाचार एजेन्सी किसी कर्मचारी की ओर से अपने निवास स्थान का स्वामी होने के लिए कर्मचारी को समर्थ बनाने के लिए किसी निधि में किसी रकम का अभिदाय करता है तो ऐसी रकम को इस उपबन्ध के अधीन संदेय मकान किराया भत्ते के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

(ख) नगर प्रतिकरात्मक भत्ता :—इसमें संलग्न सारणी 4 में वर्णित रूप में नगर प्रतिकरात्मक भत्ता उसमें उपदर्शित समाचार एजेन्सियों द्वारा संबंधित अंचलों में तैनात किए गए कर्मचारियों को संदत्त किया जाएगा।

सारणी 3

मकान किराया भत्ता

(रु० प्रति मास)

समाचार एजेन्सियों का वर्ग	"क"	"ख"	"ग"
	नगर/कस्बे जिनकी जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 20 लाख और उससे अधिक है	नगर/कस्बे जिनकी जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 10 लाख और उससे अधिक किन्तु 20 लाख से कम है	नगर/कस्बे जिनकी जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से कम है
वर्ग 1 और 2	वेतन का 15 प्रतिशत और अधिकतम 500 रुपए	वेतन का 10 प्रतिशत और अधिकतम 400 रुपए	वेतन का 7½ प्रतिशत और अधिकतम 350 रुपए

धारा 12 के अधीन केन्द्रीय सरकार की सिफारिशों को प्रभावी बनाने करने आदेश की तारीख को विद्यमान कर्मचारियों के संबंध में सिफारिश में मकान किराया भत्ते की मात्रा या दरों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि वह दोनों में से कोई भी उससे अधिक है जिसकी इसमें सिफारिश की गई है।

सारणी 4

नगर प्रतिकारात्मक भत्ता

(रु० प्रति मास)

समाचार एजेन्सियों का वर्ग	"ख"	"ग"
	नगर/कस्बे जिनकी जनसंख्या अन्तिम जनगणना के अनुसार 20 लाख और उससे अधिक है।	नगर/कस्बे जिनकी जनसंख्या अन्तिम जनगणना के अनुसार 10 लाख और उससे अधिक किन्तु 20 लाख से कम है।
I	50 रुपये	20 रुपए
II	35 रुपए	20 रुपए

[सं. एस. 33014/1/89-डब्लू. बी.]

पद्मा वेंकटाचलम, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

MODIFICATION IN THE RECOMMENDATIONS OF REVISED RATES OF HOUSE RENT ALLOWANCE AND CITY COMPENSATORY ALLOWANCE IN RESPECT OF WORKING JOURNALISTS AND NON- JOURNALIST EMPLOYEES OF NEWSPAPER ESTABLISHMENTS AND NEWS AGENCIES

ORDER

New Delhi, the 22nd January, 1990

S.O. 71 (E): —Whereas for the purpose of fixing or revising rates of wages in respect of Working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees, the Central Government constituted two Wage Boards under Section 9 and Section 13C of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955) by the Notifications of the Government of India in the Ministry of Labour Nos. SO 527 (E) and 528 (E) both dated 17th July, 1985;

And whereas, the aforesaid Wage Boards submitted their recommendations to the Central Government on the 30th day of May, 1989;

And whereas the Central Government by its Order published in the Gazette of India, Extraordinary dated 31st August, 1989 as SO. 684(E) inter-alia proposed to make certain modifications in the recommendations of the said Wage Boards contained in paragraphs 19(a) and 19(b) of Section V of Part I under Chapter IX and paragraphs 12(a) and 12(b) of Section V of Part II under Chapter IX of their Report in relation to payments of House Rent Allowance and City Compensatory Allowance appended in the Schedule below;

And whereas the said recommendations were examined and Government deemed it fit to make certain modifications in the said recommendations, which in the opinion of the Government, would effect important alterations in the character of the recommendations;

And whereas in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 12 of the said Act, notices were issued to the persons likely to be affected by the proposed modifications and whereas representations received in this behalf have been taken into account;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 12 of the said Act, the Central Government makes the following modifications to paragraphs 19(a) and 19(b) of Section V of Part I under Chapter IX paragraphs 12(a) and 12(b) of section V of Part II under Chapter IX of the recommendations of the Boards for Working Journalists and Non-Journalist newspaper employees, namely:—

(i) for Table III, in relation to the House Rent Allowance under section V of Part I under Chapter IX of the recommendations of the Boards for Working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees, the following Table shall be substituted, namely :—

TABLE III

Rates of House Rent Allowance (Percentage of Pay)

Class of Newspaper Establishment.	Cities/ Towns with Population of 20 lakhs and above	Cities/ Towns with Population between 10 to 20 lakhs	Cities/ Towns with population of less than 10 lakhs
IA	15	14	13
I	14	13	12
II	13	12	11
III	12	11	10
IV	11	10	9
V	10	9	8
VI	9	8	7
VII	8	7	6
VIII	7	6	5
IX	6	5	4

Note.—The rates of House Rent Allowancementioned above are subject to a maximum of Rs. 1200/- for any group of employees under any class of newspaper establishment in any city".

(ii) for Table IV in relation to City Compensatory Allowance under Section V of Part I under Chapter IX the following table shall be substituted, namely :

TABLE IV

City Compensatoy Allowance (Rates per mensem)

Class of Establishment	Cities/ Towns with population of 20 lakhs and above	Cities/ Towns with population between 10 to 20 lakhs	Cities/ Towns with population of 4 lakhs or more
	Rs.	Rs.	Rs.
IA	100	75	20
I	75	50	20
II	60	35	20
III	50	30	20
IV	45	30	20
V	40	30	20
VI	40	30	20
VII	40	30	20
VIII	40	30	20
IX	40	30	20";

(iii) for Table III, in relation to the House Rent Allowance under Section V of Part II under Chapter IX of the recommendations of the Boards for Working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees, the following Table shall be substituted, namely :

TABLE III

Rates of House Rent Allowance (Percentage of Pay)

Class of News Agency	Cities/ Towns with population of 20 lakhs and above	Cities/ Towns with population between 10 to 20 lakhs	Cities/ Towns with population of less than 10 lakhs
I	15	14	13
II	15	14	13

Note: --The rates of House Rent Allowance mentioned above are subject to a maximum of Rs. 1200/- for any group of employees under any class of News Agency in any City";

(iv) for Table IV in relation to City Compensatory Allowance under Section V of Part II under Chapter IX, the following Table shall be substituted, namely :

TABLE IV

Rates of City Compensatory Allowance (Rates per mensem)

Class of Establishment	Cities/ Towns with population of 20 lakhs and above	Cities/ Towns with population between 10 to 20 lakhs	Cities/ Towns with population of 4 lakhs or more
	Rs.	Rs.	Rs.
I	100	75	20
II	75	50	20";

These recommendations subject to the above modification shall come into force on the date of this Order.

192 GI/90—2

SCHEDULE

Recommendations contained in paragraph 19(a) and 19(b) of section V of Part I under Chapter IX and paragraph 12(a) and 12(b) of Section V of Part II under Chapter IX of the Reports of the Wage Boards.

CHAPTER—IX

PART—I

RECOMMENDATIONS OF THE WAGE BOARD FOR WORKING JOURNALISTS AND NON-JOURNALIST NEWSPAPER EMPLOYEES

(For employees of Newspaper Establishments other than News Agencies)

SECTION—V

Other Allowances :

19(a) House Rent Allowance.—House Rent Allowance as indicated in Table III attached herewith will also be paid by Newspaper Establishments mentioned therein to employees posted in the respective zones, provided that:—

(1) Where an employee is provided residential accommodation by Newspaper Establishment, no House Rent Allowance will be payable.

(2) If an employee is being paid House Rent Allowance, the same will be adjusted against the amount of House Rent Allowance payable under this provision.

(3) Where a newspaper establishment contributes on behalf of an employee any amount towards a fund to enable the employee to own his residential accommodation, such amount shall be adjusted against House Rent Allowance payable under this provision.

(b) City Compensatory Allowance.—City Compensatory Allowance as indicated in Table IV attached herewith will be paid by Newspaper Establishments mentioned therein to employees posted in the respective zones.

TABLE III

RATES OF HOUSE RENT ALLOWANCE

RATES

Class of Newspaper Establishment	'A'	'B'	'C'
	Cities/Towns with population of 20 lakhs and above as per latest census	Cities/Towns with a population of 10 lakhs and above but less than 20 lakhs as per latest census	Cities/Towns with a population of less than 10 lakhs as per latest census
(1)	(2)	(3)	(4)
IA	11% of pay Max. Rs. 330	10% of pay Max. Rs. 300	9% of pay Max. Rs. 270
I	10% of pay Max. Rs. 300	9% of pay Max. Rs. 270	8% of pay Max. Rs. 240
II	9% of pay Max. Rs. 270	8% of pay Max. Rs. 240	7% of Pay Max. Rs. 21
III	8% of pay Max. Rs. 240	7% of pay Max. of R210	6% of pay Max. Rs. 180
IV	7% of pay Max. Rs. 210	6% of pay Max. Rs. 180	5% of pay Max. Rs. 150
V	6% of pay Max. Rs. 180	5% of pay Max. Rs. 150	4% of pay Max. Rs. 120

TABLLE IV

CITY COMPENSATORY ALLOWANCE

(Rates per mensem)

Zone	'A'	'B'
Class of Newspaper Establishment	Cities/Towns with a population of 20 lakhs and above as per latest census	Cities/Towns with a population of 10 lakhs and above but less than 20 lakhs as per latest census
IA	Rs. 80	Rs. 20
I	Rs. 65	Rs. 20
II	Rs. 50	Rs. 20
III	Rs. 35	Rs. 20
IV	Rs. 30	Rs. 20
V	Rs. 30	Rs. 20

PART II

RECOMMENDATIONS OF THE WAGE BOARDS FOR WORKING JOURNALISTS & NON-JOURNALIST NEWSPAPER EMPLOYEES FOR NEWS AGENCIES

SECTION V

Other Allowances:

12(a) House Rent Allowance:

House Rent Allowance as indicated in Table III attached herewith will also be paid by News Agencies mentioned therein to their employees posted in the respective zones. Provided that (1) where an employee is provided residential accommodation by a News Agency, no House Rent Allowance will be payable, (2) if an employee is being paid House Rent Allowance, the same will be adjusted against the amount of House Rent Allowance payable under this provision, (3) where a News Agency centributes on behalf of an employee any amount towards a fund to enable the employee to own his residential accommodation, such amount shall be adjusted against House Rent Allowance payable under this provision.

(b) City Compensatory allowance:

City Compensatory allowance as shown in Table IV attached herewith will be paid by the News Agencies indicated therein to the employees posted in the respective zones.

TABLE III

HOUSE RENT ALLOWANCE

(Rates per mensem)

Class of News Agencies	'A' Cities/Towns with a population of 20 lakhs and above as per census of 1981	'B' Cities/Towns with a population of 10 lakhs and above but less than 20 lakhs as per census of 1981	'C' Cities/Towns with a population of less than 10 lakhs as per census of 1981
Classes I and II	15% of pay subject to a maximum of Rs. 500/-	10% of pay subject to a maximum of Rs. 400/-	7½% of pay subject to a maximum of Rs. 350/-

In respect of employees existing on the date of the order of the Central Government under Section 12 giving effect to the recommendations, the recommendation will not affect the quanta or rates of HRA if either are higher than what is recommended herein.

TABLE IV

CITY COMPENSATORY ALLOWANCE

(Rates per mensem)

Class of News Agencies	A Cities/Towns with a population of 20 lakhs and above as per latest census	B Cities/Towns with a population of 10 lakhs and above but less than 20 lakhs as per latest census
I	Rs. 50	Rs. 20
II	Rs. 35	Rs. 20

[No. S-33014/1/89—WB]

PADMA VENKATACHALAM, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990